उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, धनबाद(झारखण्ड) (जिला पंचायत राज कार्यालय, धनबाद) संविदा आधारित नियुक्ति विज्ञापन संख्याः-1

15वें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत अनुमान्य अनिवार्य गतिविधियों के संचालन के निमित पंचायतों में ग्रामीण निवासियों को सेवाएँ प्रदान करने के क्रम में पंचायतों में कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर के रुप में सेवा प्राप्त करने तथा जिला स्तरीय पैनल में चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्न सेवाओं हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है:—

				T		1	आ	रक्षण वर्ग			
क्र0	सेवा का नाम	पद की संख्या	ST	00	BC-			र्व महिला	अंधापन	भण संबंधी वि	वरणी
1	NO F ASSURE S		(PTG)	SC	I	BC-II	UR	कुल रिक्ति	और कम	बहरापन एवं श्रवण	चलन
	2	3	4	5	6	7		का 5%	दृष्टि	निःशक्तता	निःशक्तत
1	कनीय अभियंता		2				8	9	10	11	12
2	लेखा लिपिक	20	(2+0)	3	3	2	10	1	1		12
	-सह- कम्प्यूटर ऑपरेटर	51	4 (3+1)	8	7	6	26	3	1		

2. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रियाः

- (a) पैनल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिसे जिले के वेबसाईट (dhanbad.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
- (b) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग–अलग शुल्क जमा करना होगा।
 - (c) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरुप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत होगा:—

क्रमांक	पद का नाम		ा होगा, जो निम्नवत होगा:	
1	कनीय अभियंता	शुल्क की राशि	कोटि	
		500 / - रुपये	सामान्य	
2	लेखा लिपिक -सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	300 / - रुपये	अ०जा०, अ०ज०जा० एवं मा	
		500 / - रुपये 300 / - रुपये	सामान्य	
	THE PART OF SALES AND SALES	1 000 (144	अ०जा०, अ०ज०जा० एवं महिल	

(d) आवेदकं जमा करने की तिथिः 17 मार्च 2021 से 23 मार्च 2021 तक ई—मेल के माध्यम से समर्पित किया जा सकता है परन्तु इसकी प्रति स्पीड पोस्ट एवं निबंधित डाक से कार्यालय अवधि में जिला पंचायत राज



पदाधिकारी, धनबाद के कार्यालय में भेजे जाने होगें। आवेदन शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, धनबाद(District Panchyat Raj Officer, Dhanbad) के नाम से भुगतेय होगा।

- 3. सेवा अनुबंध हेतु पैनल में चयन हेतु योग्यता एवं अन्य शर्तों से संबंधित विवरणी जिले के वेबबाईट (dhanbadi.nic.in) पर देखा जा सकता है।
- 1. कनीय अभियंताः

क-आरक्षण नीतिः

कनीय अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी ।

ख-शैक्षणिक योग्यताः

- 1. अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष । अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत होगा ।
- 2. वांछनीय योग्यताः संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता ।

ग- उम्र सीमाः

कनीय अभियंता के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जाएगी।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14 वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी ।

मेघा सूची तैयार करने की पद्धतिः

- a. सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों की तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रारम्भिक मेधा सूची कंडिका छ 1 में अंकित मापदंड के आधार पर अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी।
- b. उपरोक्त प्रारम्भिक मेधा सूची में शामिल अभ्यार्थियों को विषय(अभियंत्रण) ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मलित होना अनिवार्य होगा।
- c. अंतिम मेंघा सूची में पदवार रिक्ति का दो गुणा नाम पैनल के रूप में रहेगा। जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैद्य रहेगा। पदो में एक साल के अन्दर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।
- d. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई(Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायंगी। यदि उम्र बरांबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन की जाएगा।

मूल्यांकनः

। अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंको पर किया जाएगा, जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा:--

अनिवार्य शैक्षनिक योग्यता	वाछित योग्यता	अनुभव	विषय ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

॥ विषय ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा में उत्तींणता का स्तर 40% रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पत्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंको में से सामान्य श्रेणी में उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम लाने वाले पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV. अनुभव का तात्पर्य 14th FC में कार्य का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

2. लेखा लिपिक -सह- कंप्यूटर ऑपरेटर

क-आरक्षण नीतिः

लेख लिपिक –सह– कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिला वार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी ।

ख-शैक्षणिक योग्यताः

1. अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत अंकों के साथ बीठकॉम/बीठएसठसीठ(गणित/सांख्यिकी)/बीठएठ(गणित/सांख्यिकी)अथवा समकक्ष डिग्री । अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत होगा ।

2 .वांछनीय योग्यता एवं अनुभव- संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी ।

ग- उम्र सीमाः

लेख लिपिक -सह- कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी । उम्र सीमा की गणना 01.01. 2021 के आधार पर की जाएगी ।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14 वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी ।

आवेदन पत्र ई–मेल के माध्यम से भी समर्पित किया जा सकता है । परंतु इसकी भी प्रति स्पीड पोस्ट एवं निबंधित डाक से कार्यालय अविध में भेजे जाने होंगे ।



मेघा सूची तैयार करने की पद्धतिः

- a. सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों की तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रारम्भिक मेधा सूची अनिवार्य, बांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी।
- b. उपरोक्त प्रारम्भिक मेधा सूची में शामिल अभ्यार्थियों को कम्प्यूटर ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मलित होना अनिवार्य होगा।
- c. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दो गुणा नाम पैनल के रुप में रहेगा। जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अन्दर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।
- d. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई(Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन की जाएगा।

मूल्यांकनः

। अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंको पर किया जाएगा, जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा:-

अनिवार्य शैक्षनिक योग्यता	वांक्षित योग्यता	अनुमव	कम्प्यूटर ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

- ॥ कम्प्यूटर परीक्षा में चर्तीणता का स्तर 40% रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।
- III. चयन की पत्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंको में से सामान्य श्रेणी में उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम लाने वाले पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।
- IV. लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर के रुप में चयन हेतु अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 25 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी।
- V. अनुभव का तात्पर्य 14th FC में कार्य का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

सेवा अनुबंध पर कार्य लेने हेतु शर्ते निम्नवत् होगी:-

- । चयन समिति केवल पैनल में नाम हेतु अनुशंसा करेगी।
- चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रखण्ड एवं पंचायत के चयन के संबंध में उपायुक्त के स्तर से निर्णय लिया जा सकेगा। उपायुक्त के स्तर से पंचायतों का कलस्टर तैयार किया जायेगा।

III. चयनित अभ्यर्थियों से प्रखण्ड एवं पंचायतों के कलस्टर हेतु विकल्प मांगा जाएगा। योग्यता सह विकल्प (Merit cum Chioce) के आधार पर प्रखण्ड एवं पंचायत का कलस्टर अभ्यर्थी को कर्णांकित किया जाएगा।

IV. कर्णांकित अभ्यर्थियों में से कनीय अभियंता का सेवा अनुबंध संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी—सह—सचिव, पंचायत समिति करेंगे तथा लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर का अनुबंध संबंबिधत पंचायत कलस्टर के सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा।

V. सेवा अनुबंध प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए किया जाएगा। एक वर्ष के पश्चात उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी जिसके आधार पर सेवा की आवश्यकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर एक—एक वर्ष के लिए सेवा अनुबंध का नवीकरण किया जा सकेगा किन्तु सेवा अनुबंध सिर्फ 15वें वित्त आयोग की अवधि तक के लिए ही अनुमान्य होगा एवं किसी भी परिस्थिति में इसे आयोग की अवधि के पश्चात् की अवधि के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा।

VI. सेवा अनुबंध का वार्षिक नवीकरण सेवा की आवश्यकता, कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी सेवा अनुबंध स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

VI. उपर्युक्त अवधि में सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्थाओं इत्यादि में कार्य करने की अनुमित नहीं दी जायेगी। साथ ही पंचायत द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में संवेदक अथवा किसी अन्य रूप में कार्य करने अथवा निविदा में भाग लेने की अनुमित संबंधित कर्मी अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों को नहीं होगी।

VIII. यदि कोई कार्यरत कर्मी सेवा अनुबंध से स्वतः मुक्त होने चाहेगा तो संबंधित पंचायतों को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

IX. चयनित कर्मी का कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर संबंधित पंचायत सचिव एवं मुखिया संयुक्त रूप से उसे कार्यमुक्त करने की स्पष्ट कराणों के साथ अनुशंसा उपायुक्त को उपलब्ध करयेंगे जिसपर उपायुक्त को 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। किन्तु निर्णय के पूर्व संबंधित कर्मी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जाएगा।

X. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी के विरुद्ध किसी प्राकर की शिकायत/परिवाद प्राप्त होने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से आवश्यक जाँच परिवाद प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन मंतब्य सहित उपायुक्त को प्रेषित किया जाएगा। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक पक्ष के अन्दर उपायुक्त निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे।

XI. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को सेवा अनुबंध के विरुद्ध निर्धारित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का मानदेय अथवा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

XII. राज्य सराकर द्वारा निर्धारित अवकाश सेवा अनुबंध कर्मियों को देय होगा।

उपायुक्त, धनबाद।